(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों 8,447 डाक्टर काम कर रहे हैं और ये केन्द्र देहातों में स्थित हैं। कितने डाक्टर अपनी इच्छा से देहातों में जा कर बस गये हैं उनके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां।

भारत और पाकिस्तान के बीच संचार संम्बन्धों की फिर से स्थापना करना

499. श्री भारत सिंह चौहान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध और सुधारने की दृष्टि से दोनों देशों के बीच संचार संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए उस देश के साथ कोई बातचीत की गई है ;

(ख) क्या पाकिस्तान को यह भी कहा गया है कि उस दुर्घटना के लिए जिसके परिणाम-स्वरूप पिछली बार दोनों देशों के बीच संचार संबंध टूटे थे, इस देश क्षतिपूर्ति दी जाए ;

(ग) क्या पाकिस्तान ने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में दिये गये आश्वासन का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) से (घ). 1965 से भारत और पाकिस्तान के बीई कोई सीमा सम्पर्क नहीं है। फरवरी, 1971 में इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण करके लाहौर पत्तन पर इसके जलाये जाने के बाद सिविलियन विमानों को उड़ान की सुविधा समाप्त कर दी गई थी। इस घटना से उत्पन्न एक मुकदमा अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संस्था के विचाराधीन है।

जुलाई, 1972 के शिमला समझौता में, दोनों देशों के बीच हवाई सम्पर्क का प्रावधान है जिसमें एक दूसरे के देश के उपर से उड़ान भी सम्मिलित है। सितम्बर, 1974 में इस्लामाबाद में, डाक एवं दूर संचार और आवगमन को फिर से चालू करने के लिए हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कि दोनों देशों के सिविल विमानन शिष्टमंडल, 1971 के मामले पर विचार करने के लिए और हवाई सम्पर्क एवं एक दूसरे के देश के ऊपर से उड़ान को फिर से आरम्भ करने के बारे में विचार विमर्श करेंगे। पाकिस्तान सरकार सिविल विमानन पर प्रस्तावित बातचीत के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है।

आशा की जाती है कि दोनों शिष्टमंडलों के बीच इस्लामाबाद में 18 नवम्बर, 1974 से बातचीत आरम्भ होगी। इस बातचीत में 1971 के अपहरण कांड से उत्पन्न विभिन्न मसलों पर विचार किया जायेगा।

Allotment of Land to Widows of Defence Personnel in Delhi

500. SHRI VIJAYPAL SINGH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the widows of defence personnel are given land in Delhi for the maintenance of the family;

(b) if so, the rules therefor;

(c) whether such a widow from village Kenjhavala in Delhi-41 has made repeated appeals for allotment of land; and

(d) if so, whether her appeal has been considered and decision taken?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI J. B. PATNAIK): (a) and (b). Widows of Defence personnel of Delhi domicile who were killed in action, and are desirous of re-settling on agricultural land, are eligible for the allotment of such land in Delhi State